सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 223/प्रा0पत्र/2023 — दायरा दिनांक :–16.10.2023

GCMS ID–2023/214

उनवान

1. रामजीलाल आ0 बिशना जाति डोली निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल आ0 माधो जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली।
2. रामलाल आ0 माधो जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली।
3. कन्हैयालाल आ0 गंगाराम जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली।
4. महावीर आ0 गंगाराम जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली।
5. रामप्रसाद आ0 गंगाराम जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली।
6. हीराबाई पत्नी गंगाराम जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली।
7. नन्दा आ0 मोती जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तह0 हिण्डोली।
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– श्री महेश नामा

आदेश

दिनांक : 23.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खसरा संख्या 413/784, 880/413, 908/412 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3391 है0 वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी के समीप अप्रार्थीगण की भूमियॉ है, इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण पडोसी काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में सीमा के बाबत कोई मुस्तकिल निशान नहीं है और सीमाबंदी के संबंध में कोई मुस्तकिल निशान नहीं होने के संबंध में अप्रार्थी पडोसी काश्तकार व प्रार्थी के मध्य बाउण्ड्री डिस्प्यूट पैदा होता रहता है। प्रार्थी अपने पडोसियों से मधुर संबंध रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

लेकिन अप्रार्थीगण सहमत नही हुए। पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थीगण सहमत नहीं होने पर प्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना के कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया और नायब तहसीलदार साहब के आदेश से पटवारी सीमाज्ञान किया लेकिन सीमाज्ञान कराने के उपरांत प्रार्थी ने अपनी भूमि पर फसल की सुरक्षा हेतु तारफैंसिंग करवाने लगा तो अप्रार्थीगण ने विरोध कर दिया और दिनांक 15.07.2023 को प्रार्थी को धमकी दी कि हमारे सामने पत्थरगढी करवाओं हम सीमाज्ञान को नहीं मानते है। पत्थरगढी के बाद ही आपको तार फैसिंग करने देंगे। अप्रार्थीगण द्वारा तार फैसिंग में अवरोध करने व पत्थरगढी करवाने वास्ते सहमति नहीं देने से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में करवावे और पत्थरगढी करवाने के उपरांत अपनी सीमा पर आवारा मवेशियों से फसल की सुरक्षा हेतु तारफैंसिंग करवावे। श्रीमान को लेण्ड रेवेन्यु एक्त की धारा 111, 118, 129 के तहत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 413/784, 880/413, 908/412 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3391 है0 वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित भूमियों के समीप अन्य खातेदारान की भूमि भी है जिन्हे इस प्रार्थना पत्र में संयोजित नही किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना प्रार्थी खारिज किया जावे।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव पटवार मण्ड्ल छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 147 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 147 के खसरा सं0 413/784, 880/413, 908/413 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3391 है0 वाके ग्राम छाबडियों का नयागांव पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजीयात के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/06/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली